

15/3/2018 को पेश हो।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

15/3/2018 वकूलाय उपस्थित

वकील अपील 102 ने प्रा.पक्ष 0.6.217 एपल का पेश किया जिस पर उभय पक्ष को सुना गया। निष्कर्षतः प्रा.पक्ष स्वीकार किया जाता है तथा अपील ने अपील 102 एवं रेसोर्ड-2 स.2 की अति सीरकी के स्थान पर देवाही संबंधित करने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार मातृ स्थायी से संबंधित किया जाये। उभय पक्ष अभिभाषक ने राजीनामा पेश किया तथा माफिक राजीनामा अपील का निस्तारण करने का निवेदन किया। अतः पत्रावली नं. 20/3/2018 को पेश हो।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

20.03.2018

वकूलाय उपस्थित।

उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष अभिभाषक ने राजीनामा प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। इस प्रकार उभयपक्ष आपसी सहमति से अपील का निस्तारण करवाने हेतु सहमत है। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अपीलाप्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम जटियो की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 29 पर तहसीलदार मरवाड़ जंक्शन द्वारा प्रस्तुत स्वीकृति आदेश दिनांक 23.06.1989 अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार मरवाड़ जंक्शन को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए मृतक भाना पुत्र काना के विधिक वारिशान की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति. जिला कलेक्टर, पाली